इत्त हुक्म की तामील में जारी हुए

35-7-17 वकील अपीलांट उपस्थित।
वकील रेस्पोडेन्ट उप०
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते
पत्रावली दिनांक 3-10-17 को पेश हो। आज P.O. सा. मुख्यालय जोधपुर बिराजते हैं।

3-10-17 वकील अपीलांट उपस्थित।
वकील रेस्पोडेन्ट उप०
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते
जवाबदावा दिनांक 18-12-17 को पेश हो। PO साहब मुख्यालय जोधपुर बिराजते हैं।

U/T रेस्पो. उप. 14
वकील अपीलांट उपस्थित।
वकील रेस्पोडेन्ट उप०
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते
बहस प्रा. दिनांक 1-2-18 को पेश हो। L.R. रेकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थनापत्र की बहस हेतु पेश हो।

01.02.2018 वकुलाय उपस्थित।

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 पर उभयपक्ष को सुना गया। निष्कर्षतः अपीलाण्ट के का0मु0 को रेकर्ड पर लिया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में खारिज किया गया था। अब प्रकरण समयबद्ध सीमा में निस्तारण हेतु यदि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/2009 पुखाराम बनाम अचलाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान का समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को छह माह की अवधि में निस्तारण की कार्यवाही करें। उभय पक्ष दिनांक 26-2-18 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड वास्ते पालनार्थ लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली इस न्यायालय के नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

158
19/2/18